शहरी निजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों का विद्यालयी संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन

पीयूष श्रीवास्तव[1] एवं डॉ0 बृजेश कुमार मिश्र[2]

[1]शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, बयालसी पी0जी0 कालेज, जलालपुर, जौनपुर

[2]एशोसिएट प्रोफेसर, बयालसी पी0जी0 कालेज, जलालपुर, जौनपुर

सारांश–विद्यालय वह स्थान है, जहाँ पर समाज एवं राष्ट्र का भविष्य निर्मित होता है। प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र अपने नागरिकों के विकास के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। जब विद्यार्थी घर से निकल कर विद्यालय आता है एवं शिक्षा प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि विद्यार्थी जितने समय तक विद्यालय में रहता है उसके संरक्षा एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होती है। इसके सम्बन्ध में राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ–साथ अन्य कई स्वायत्तशासी संस्थाओं ने विद्यार्थियों के संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए कई प्रकार के नियमों का निर्धारण किया है। विद्यार्थियों की संरक्षा एवं सुरक्षा के इन प्रावधानों के सम्बन्ध में उनके माता–पिता एवं अभिभावक को जानना आवश्यक है। विद्यार्थियों की संरक्षा एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता रखने वाले अभिभावक अपने बालक की हर समस्या को समझ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार स्वयं उसका समाधान भी कर सकते हैं अथवा विद्यालय से संपर्क करके उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

I. प्रस्तावना

स्कूल एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक ढाँचा हैं जिसे भावी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी सौपी गयी है। किसी भी समाज की प्रगति वहाँ के विद्यालयों पर निर्भर होती हैं क्योंकि समाज अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान आदि को विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करता है। समाज द्वारा किए जाने वाले नए ज्ञान में वृद्धि, पुराने ज्ञान में संशोधन, तकनीकि विकास, वैज्ञानिक खोज आदि से सम्बंधित ज्ञान को विद्यालय के द्वारा ही समाज के अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जाता है। समय–समय पर समाज पर आई समस्याओं का समाधान शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके साथ ही विद्यालयों के निर्माण, रख–रखाव, आवश्यक सुविधाओं एवं सुरक्षा की व्यवस्था समाज के द्वारा किया जाता है। समाज द्वारा विद्यालय को स्थापित करने का एक मुख्य उद्देश्य समाज के बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। क्योंकि समाज के विकास के लिए यही बालक नीव के रूप में स्थापित किए जाते हैं जो कि आगे चलकर समाज रूपी इस इमारत को बुलन्दियों तक ले जाने का कार्य करते है। क्योंकि विद्यालय में बालकों के भविष्य के साथ–साथ समाज का भविष्य भी निर्मित होता है इसलिए विद्यालयों में इन छोटे बालकों के लिए सुरक्षित वातावरण का होना अत्यन्त आवश्यक है। सुरक्षित सामाजिक वातावरण में ही बालकों की अच्छी शिक्षा की कल्पना की जा सकती है। इसके लिए जरुरी है कि सबसे पहले समाज को इसके लिए जागरूक किया जाय की किन तरीकों से बालकों की सुरक्षा एवं शिक्षा को मजबूती प्रदान की जा सकती हैं। एक सुरक्षित और जागरूक समाज ही अपने बालकों के भविष्य को बेहतर बना सकता हैं। इसलिए समाज को समय–समय पर उपर्युक्त बातों की समीक्षा करनी चाहिए, जिससे की सामाजिक संरचना में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके साथ ही सामाजिक विकास और बालकों की शिक्षा को सुदृढ़ करते हुए शैक्षिक संस्थाओं में बालकों की संरक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सभी बालक घर के अलावा सबसे ज्यादा समय विद्यालय में बिताते हैं, इसलिए इन बालकों को विद्यालय में एक सुरक्षित, सकारात्मक, सीखने वाला और आगे बढ़ने में मदद करने वाला वातावरण आवश्यक होता है। सीखने का वातावरण सभी बालकों के लिए अति आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण के बिना बालकों का शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता है, इसके बिना बालक के भविष्य के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाता है। इसलिए विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों क लिये विद्यालय सुरक्षा सभी स्तरों पर चिन्ता का एक विषय है। स्थानीय, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उनके घर से विद्यालय निकलते समय से लेकर विद्यालय पहुँचने, अध्ययन करने, विभिन्न विद्यालयी क्रिया कलापों में शामिल होने से लेकर वापिस घर तक वापस आने के बीच समस्त सुरक्षा की व्यवस्था शामिल है। दुर्व्यवहार, हिंसा, मनोसामाजिक मुद्दा, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित, आग, परिवहन, भावात्मक सुरक्षा आदि विशेष रूप से शामिल है। बालक में भावात्मक समस्याएँ और कठिनाइयों का पता लगाना शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए कठिन होता है। ऐसे बालक को शिक्षक एवं अभिभावकों के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर इनमें निचले स्तर का अर्थात् सामान्य बातों जैसे– आत्मसम्मान, भलाई, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर नकारात्मक भाव पैदा होने लगता हैं। अतः ऐसे विद्यार्थियों को स्वस्थ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है जिससे उनमें उत्पन्न हुए नकारात्मक भाव को खत्म करके सकारात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित किया जा सके।

II. सम्बन्धित साहित्य

ब्रूरेन, लेस्ली एम0, हैंडी जे0 दबोरा एण्ड पावर, जी. थॉमस (2011), ने **'एग्जामिन स्कूल करेंट्स : सेफ्टी स्ट्रेट्जी स्कूल क्लाइमेट एण्ड वायलेंस'** विषय पर शोध किया और निष्कर्ष में पाया कि हिंसा एक सामाजिक समस्या है जो अनुशासन और रोकथाम के प्रयासों को पार कर गई है किसी भी विद्यालय में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए समाज के वयस्कों और विद्यार्थियों दोनों की भागीदारी आवश्यक है। शोध के निष्कर्ष से यह भी सत्य सामने आता है कि विद्यालय में शिक्षक और प्रबन्धक के द्वारा छात्रों से अनुचित व्यवहार करने के कारण विद्यार्थियों में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए शिक्षकों एवं प्रबन्धक को चाहिए कि वे छात्रों के साथ उचित व्यवहार करें जिससे विद्यालय का वातावरण सुरक्षित बना रहे।

कोर्नेल, डेवी.जी. एंड मेयर मैथ्यू जे. (2010), ने **'व्हाई डू स्कूल ऑर्डर एण्ड सेफ्टी मैटर'** विषय पर अपना शोध कार्य किया और निष्कर्ष में पाया कि किसी भी विद्यालय में आने वाले छात्रों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने के लिए, उन्हें शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ्य बनाये रखने के लिए, उनको अधिगम योग्य वातावरण प्रदान करने के लिए एवं शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाने के लिए सभी विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में एवं विद्यालय के आस–पास छात्रों के साथ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं की रोक–थाम करने के लिए, बच्चों को विद्यालय तक आने और वापिस घर तक पहुँचने तक उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार की असुरक्षा ना हो इत्यादि बातों को ध्यान में रखने पर विद्यालय को सुरक्षित समझा जा सकता है।

मेयर, मैथ्यू जे0 एण्ड फुर्लोंग, माइकल जे0 (2010), ने **'हाऊ सेफ आर आवर स्कूल'** नामक विषय पर अपना शोध कार्य किया और निष्कर्ष में पाया कि प्राप्त ऑकड़ें बताते हैं कि पिछले एक दशक में अमेरिका के विद्यालयों की सुरक्षा

में सुधार हुआ हैं। फिर भी हिंसा, चोरी, डराने–धमकाने और अन्य असुरक्षा सम्बन्धी समस्या छात्रों के समक्ष रही हैं। इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई ऑकड़ा नहीं हैं। असुरक्षा के भाव ने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया हैं साथ ही सामाजिक विकास में भी बाधा उत्पन्न की हैं। विद्यालयों के पास कोई भी सुरक्षा मानक नहीं हैं, विद्यालय के सुरक्षा मानक का स्तर निम्न हैं। विद्यालयों के सुरक्षा सम्बन्धी चुनौती पर अनुसंधान करके प्रमुख समस्याओं की पहचान करना और राष्ट्रीय स्तर पर सुधार कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता हैं।

गार्सिया, क्रिस्टल ए0 (2010), ने **'स्कूल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इन अमेरिका : करेण्ट यूज एण्ड परसिब्ड इफेक्टिवनेस'** विषय पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष से यह पता चलता है कि विद्यालय जहाँ लाखों बच्चे अध्ययन के लिए जाते हैं वहाँ का वातावरण सुरक्षित होना चाहिए। जिसके लिए कुछ प्रौद्योगिकियों की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत कम विद्यालय हैं जिसमें ई0सी0डी0 (Electronic Servillance Device) की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों में कैमरा, रिकॉर्डिंग सिस्टम इत्यादि प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। 90 प्रतिशत विद्यालय हैं जिसमें कैमरे का प्रयोग किया जाता है और 87 प्रतिशत विद्यालय हैं जिसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग होता है। विद्यार्थियों के माता–पिता, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का यह मानना है कि विद्यालय में तकनीकि के प्रयोग से सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, विद्यालय परिसर में होने वाले अपराधों की जाँच किया जा सकता है एवं गम्भीर घटनाओं का पहले से पता लगाया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा निर्धारित की जा सकती है।

वाल, एल्डा डी0 और ग्रोसेस, एम0एम0 (2009), ने **'सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल : एन पेडागॉजिकल प्रासपेक्टिव'** नामक विषय पर अपने लेख में बतलाया है कि विद्यार्थियों के मौलिक अधिकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा शिक्षण और सीखने के संबंध में अधिक समस्याएँ हैं। एक रणनीति के अनुसार एक कक्षा–शिक्षण के समय जहाँ कुछ विद्यार्थी हमेशा अपने पाठों का आनंद लेते हैं और कुछ अच्छा करते हैं वही कुछ विद्यार्थी कक्षा शिक्षण में संघर्ष करते रहते हैं और हर समय असहज महसूस करते हैं। कुछ विद्यार्थियों को अच्छे समर्पित और प्रतिभाशाली के रूप में देखा जाता है जबकि अन्य विद्यार्थियों को ऊबा हुआ या संघर्ष करता हुआ देखा जाता है शैक्षणिक संरक्षण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं समझा जाता है।

हैनसेन, लेने (2009), ने **'डिजिटल डिजास्टर साइबर सिक्योरिटी एण्ड कोपनहेगन स्कूल'** विषय पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष में पाया कि साइबर सुरक्षा के हाइपरसिक्योरिटाइजेशन, रोजमर्रा की सुरक्षा प्रथाएं और तकनिकी तीन विशिष्ट क्षेत्र मिलकर "सुरक्षा व्याकरण" को परिभाषित करते हैं। साइबारअपराध बच्चों में बढ़ती एक समस्या हैं, जो बच्चों में साइबार सुरक्षा के प्रति जागरूक ना होने से बढ़ रही हैं और जागरूकता ना होने से साइबार अपराध के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। राज्य सरकार को विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से विद्यालय के बच्चों और आस–पास के लोगो को उसकी अवसंरचना के विषय में जागरूक करना चाहिए।

चुकवू, एके0 चिनमे (2008), ने **'स्कूल सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट चैलेंन्ज फॉर व्रीहेयड डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल'** नामक विषय पर लघुशोध प्रबंध तैयर किया, जिसके निष्कर्ष में पाया कि विद्यार्थियों के केवल शारीरिक सुरक्षा को ध्यान में रखना संकीर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है बल्कि इसमें गंभीर हमले, सशस्त्र डकैती एवं हत्या जैसे गंभीर

समस्याएँ भी शामिल है। किसी भी विद्यार्थी के साथ मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी, यौन उत्पीड़न एवं दबाव जैसे व्यवहार करना भी विद्यार्थियों के संरक्षा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए खतरा है। विद्यालय की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वह सामान्य एवं विशिष्ट सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करें, विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से जीना सिखाए एवं सुरक्षा के नियम अथवा उपकरण का निर्धारण करें। विद्यालयों में अभिप्रेरित करने वाले वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी खुद को संरक्षित एवं सुरक्षित महसूस करते हुए अपने अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण कर सके।

III. समस्या कथन

"शहरी निजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों का विद्यालयी संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन"

शोध में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषा–

शहरी निजी माध्यमिक विद्यालय–

इस शोध कार्य में शहरी निजी माध्यमिक विद्यालय से तात्पर्य ऐसे समस्त विद्यालयों से है जो शहरी क्षेत्र में स्थित हैं और जिन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वित्त प्रदान नहीं किया जाता एवं जहाँ कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं।

IV. संरक्षा एवं सुरक्षा

इस शोध कार्य में संरक्षा एवं सुरक्षा से तात्पर्य विद्यालय में संरक्षा एवं सुरक्षा से हैं। विद्यालय में संरक्षा एवं सुरक्षा का अर्थ विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे स्वस्थ्य, संरक्षित एवं सुरक्षित वातावरण का सृजन करना है जो उनके घर से विद्यालय जाने से प्रारम्भ होकर सुरक्षित घर वापसी तक समाप्त हो। इसमें भूविज्ञान/जलवायु से बृहद स्तर पर उत्पन्न प्राकृतिक खतरे, महामारी, हिंसा, भय, तनाव, आग, परिवहन एवं अन्य सम्बन्धी आपात स्थिति और वे पर्यावरणीय खतरे निहित हैं जो विद्यार्थियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

V. अध्ययन का उद्देश्य

1. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।

2. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।

VI. शून्य परिकल्पना

1. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

VII. शोध विधि–

प्रस्तुत शोध में मुख्य रूप से वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया हैं।

VIII. शोध की जनसंख्या–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शहरी निजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को जनसंख्या के रुप में लिया गया है।

IX. प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन विधि–

प्रस्तुत अध्ययन में बहुस्तरीय न्यादर्शन तकनीक का प्रयोग करके न्यादर्श का चयन किया जाएगा। शहरी निजी माध्यमिक विद्यालयों का चयन, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि के लाटरी तकनीकी का प्रयोग करके किया गया। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के 307 अभिभावकों का चयन असम्भाव्यता न्यादर्श तकनीकी के अंतर्गत सुविधानुसार किया गया है।

X. शोध उपकरण–

प्रस्तुत शोध में शहरी निजी माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों का विद्यालयी संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता का मापन करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन0पी0सी0आर0) की विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा जाँच सूची पर आधारित स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया हैं।

XI. शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में एकत्रित ऑकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं।

XII. ऑकड़ों का विश्लेषण–

उद्देश्य–

1.विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता में अंतर ज्ञात करना ।

H01.विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान–

क्षेत्र	संख्या	माध्य	मनक विचलन	स्वतन्त्रता मात्रा	'टी'–मान	टिप्पणी
ग्रामीण	164	63.03	8.463	405	1.75	.05 पर कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।
शहरी	243	61.70	6.856			

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों की जागरूकता का माध्य 63.03 और शहरी क्षेत्र के अभिभावकों की जागरूकता का माध्य 61.70 है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों की जागरुकता का मानक विचलन 8.463 और शहरी क्षेत्र के अभिभावकों की जागरुकता का मानक

विचलन 6.856 है। इनका 'टी'–मान (t=1.75, p>.05) सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक नही है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं अर्थात विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति क्षेत्रवार अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान समय में प्रत्येक माता–पिता चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हों अथवा शहरी क्षेत्र में निवास करता हों सभी अपने बालक को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यही कारण है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी अभिभावकों की जागरूकता का स्तर एक समान पाया गया है।

उद्देश्य 2.विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।

H02.विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2.विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान–

लिंग	संख्या	माध्य	मनक विचलन	स्वतन्त्रता मात्रा	'टी'–मान	टिप्पणी
महिला	147	66.50	5.133	405	9.431	.05 स्तर पर सार्थक अंतर हैं
पुरुष	260	59.82	7.660			

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला अभिभावकों की जागरुकता का माध्य 66.50 और पुरुष अभिभावकों की जागरुकता का माध्य 59.82 है। महिला अभिभावकों की जागरुकता का मानक विचलन 5.133 और पुरुष अभिभावकों की जागरुकता का मानक विचलन 7.660 है। इनका 'टी'–मान (t=9.431, p>.05) सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है अर्थात विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरुकता में सार्थक अंतर है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक महिलाएं स्वयं समाज में असुरक्षा की शिकार रही हैं। इसलिए वे हमेशा प्रयास करती है कि जिस प्रकार से उनके साथ असुरक्षात्मक परिस्थितियाँ बनी रही हैं उस प्रकार से उनके बालक के समक्ष असुरक्षा का भाव ना रहे। जबकि पुरुष वर्ग शुरु से ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करता रहा है और अभी भी वह अपने बालक की सुरक्षा के अभाव के सम्बन्ध में अधिक जागरूकता नहीं रखता है।

XIII. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से हैं–

1. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. विद्यालय संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की जागरूकता में सार्थक अंतर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Booren, Leslie M. ,Handy, D.J. And Power T. g. (2011). Examining Perceptions of School Safety Strategies School Climate and Violence, Youth Violence AndJuvenile Justice. 9(2),171-187.
2. Cornell D. G. And Mayer M.J. (2010) Why Do School Order AndSafety Matter, Educational Research, 39(1),7-15.
3. Mayer, M. J. And Furlong M. J. (2010). How Safe Are Our School, Educational Research. 39(1),16-26.
4. Garcia, C.A. (2010). School Safety Technology in America: Current use And Perceived Effectiveness, Safety Technology in America. p30-55.
5. Elda D.W. and Grosser M. M. (2009). Safety And Security at School: Pedagogical Perspective, Journal of Teaching and Teacher Education. 25(6),697-706.
6. Hansen, l. (2009) Digital Disaster, Cyber Security And the Copenhagen School, International Studies Quarterly,53,1155-1175
7. गुप्ता, डॉ. एस. पी. (2015) शैक्षिक अनुसंधान, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
8. त्रिपाठी, शालिक ग्राम (2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली।